

22/8
22

पत्रावली पेश आई। वकील वादी एवं वादी स्वयं ने उपरोक्त
होकर वाह जकरण संख्या 238/10 को विज्ञो करने का
प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इस पर पत्रावली को
सीगट से हलब की गई। वकील वादी एवं वादी
को सुना गया। पत्रावली का अत्र लोकन किया गया
गले द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया
जाकर वाह जकरण को विज्ञो करने की अनुमति
प्रदान की जाती है। तथा पत्रावली में कथिगिही इसी
स्तर पर बढकी जाती है। पत्रावली केसल सुगाए होके
नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी

डंगला

